



2026:AHC:67859-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी सं - 12199 वर्ष 2026

छबीनाथ कुमार याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और 3 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: भूदेव यादव

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: एसजीआई, सी.एस.सी.

न्यायालय सं - 40

माननीय न्यायमूर्ति श्री सरल श्रीवास्तव

माननीय न्यायमूर्ति श्री गरिमा प्रसाद

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री भूप यादव, प्रतिपक्षी संख्या-1 और 2 की ओर से पेश होने वाले अधिवक्ता श्री रवि प्रकाश और राज्य-प्रतिपक्षियों के स्थायी अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।

2. याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत रिट याचिका के माध्यम से निम्नलिखित राहत के लिए प्रार्थना की है: -

"i. भौतिक पुलिस सत्यापन पूरा करने और एक निर्धारित समय सीमा के भीतर क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए परमादेश आदेश प्रतिपक्षी संख्या-4 की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करता हूं।

ii. कानून के अनुसार याचिकाकर्ता को पासपोर्ट की प्रक्रिया और जारी/नवीनीकरण करने के लिए प्रतिपक्षी संख्या-2 (क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी) की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना।

3. याचिकाकर्ता ने पासपोर्ट जारी करने के लिए आवेदन किया है। याचिकाकर्ता के अनुसार, प्रतिपक्षी संख्या-2-क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, लखनऊ ने न तो पासपोर्ट जारी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किया है और न ही याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक मामले के लंबित होने के आधार पर पासपोर्ट जारी करने के लिए कोई आदेश पारित किया है।

4. पवन कुमार राजभर बनाम इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने कहा है कि भारत संघ और अन्य (रिट-सी संख्या-41540 वर्ष 2023, 19.01.2024 को निर्णय लिया गया) ने माना है कि जांच के चरण सहित आपराधिक कार्यवाही के लंबित होने से पासपोर्ट आवेदन की अस्वीकृति को उचित नहीं ठहराया जा सकता है, जिस पर 25.08.1993 की अधिसूचना के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए। इसमें आगे कहा गया है कि राज्य के अधिकारियों से आपराधिक कार्यवाही के लंबित होने के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय आवेदक को एक सप्ताह के भीतर सूचित करेगा और सक्षम न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने के लिए कम से कम आठ सप्ताह का समय देगा, जिस अवधि के दौरान आवेदन को लंबित रखा जा सकता है। इसे जमा करने पर, पासपोर्ट को तेजी से और बिना किसी अनुचित देरी के, अधिमानतः एक सप्ताह के भीतर संसाधित किया जाएगा।

5. इसके अलावा, हर्षित वैश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य (आपराधिक पुनरीक्षण संख्या-524 वर्ष 2026, 18.03.2026 को निर्णीत), इस न्यायालय ने विदेश मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 06.12.2024 के कार्यालय ज्ञापन को ध्यान में रखते हुए कहा है कि हालांकि अलग से एनओसी की आवश्यकता नहीं है, पासपोर्ट जारी करने के लिए आवेदक को विदेश यात्रा करने की अनुमति देने वाला सक्षम न्यायालय का आदेश आवश्यक है। विचारण न्यायालय अनुमति दे सकता है या अस्वीकार कर सकता है और यात्रा की अवधि सहित शर्तें लगा सकता है। यदि कोई अवधि निर्दिष्ट नहीं है, तो पासपोर्ट जी.एस.आर. 570 (ई) के संदर्भ में जारी किया जा सकता है, आमतौर पर एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए।

6. चूंकि, पासपोर्ट जारी करने के संबंध में निर्णय प्रतिपक्षी संख्या-2 द्वारा लिया जाना है, तदनुसार, याचिकाकर्ता को आज से एक महीने की अवधि के भीतर प्रतिपक्षी संख्या-2 के समक्ष एक अभ्यावेदन दाखिल करने की अनुमति है। उक्त अभ्यावेदन दाखिल करने पर, प्रतिपक्षी संख्या-2 उपरोक्त निर्णयों के आलोक में याचिकाकर्ता को पासपोर्ट जारी



करने के आवेदन पर विचार करेगा और उस तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर निर्णय लेगा, याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व प्रतिपक्षी संख्या-2 द्वारा प्राप्त किया जाता है।

7. उपरोक्त टिप्पणी के साथ, प्रस्तुत याचिका का **निस्तारण** किया जाता है।

मार्च 31, 2026 / राकेश

(न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद) (न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव)

Translated Version. Not for Legal Use.